Commission, the net share of taxes to the States has been increased from 32 per cent to 42 per cent. On the basis of this recommendation, I want to know from the hon. Minister as to whether it is a fact that the 'special category' status has been stopped closed or it is continuing as on today.

SHRI ARUN JAITLEY: The impact of the 'special category' status is that, with regard to the Core-of-Core Schemes, the funding pattern all over the country remains the same. With regard to other Core Schemes, for the North-Eastern States and three Himalayan States, the funding pattern remains 90:10, which, for other States, is 60:40. For Optional Category, for North-East and Himalayan States, it remains 80:20. Therefore, the North-East and the Himalayan States have a special category of funding even under the recommendations of the Fourteenth Finance Commission.

भत्तों के संबंध में सातवें वेतन आयोग संबंधी समिति

*244. **श्री राम कुमार कश्यपः** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के संबंध में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) भत्तों तथा न्यूनतम वेतन के संबंध में गठित समिति और इसके कार्य-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी समय-सीमा क्या है;

(ग) आयोग की वेतन और भत्तों संबंधी सिफारिशों को वास्तव में कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार ने वेतन, पेंशन और संबंधित मुद्दों के संबंध में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णयों से संबंधित संकल्प 25.7.2016 को जारी किया जा चुका है। सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, वेतन और पेंशन से संबंधित मामले 1.1.2016 से लागू किए जा चुके हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा भत्तों के बारे में विद्यमान प्रावधानों से बहुत हटकर की गई संस्तुतियों और इस संबंध में कर्मचारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि महंगाई भत्ते से भिन्न भत्तों से संबंधित सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले इनकी जांच वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाए। इस समिति में गृह, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों, कार्मिक और प्रशिक्षण एवं डाक विभागों के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस समिति से कहा गया है कि वह चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। समिति का गठन 22.7.2016 को किया जा चुका है और समिति की पहली बैठक 4.8.2016 को हुई है।

Seventh Pay Commission Committee on Allowances

†*244. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the steps being taken by the Government for implementing the recommendations of Seventh Pay Commission;

(b) the details of the Committee constituted regarding allowances and minimum pay, domain and time-limit thereof;

(c) by when the recommendations of the Commission regarding pay and allowances will be actually implemented; and

(d) the reasons for delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ARJUN RAM MANGWAL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Government has decided to implement the recommendations of the 7th Central Pay Commission relating to pay, pension and related issues. The resolution on Government decisions has been issued on 25.07.2016. The matters relating to pay and pension, as decided by the Government, have been implemented with effect from 01.01.2016. In view of the significant departure from the existing provisions recommended by the 7th CPC and a number of representations received from Employee Associations and other stakeholders in this regard, the Government has decided that recommendations on allowances, other than Dearness Allowance, be examined by a Committee comprising Finance Secretary as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Health and Family Welfare, Personnel and Training, Posts and Chairman, Railway Board as Members for examination before taking a final decision. The Committee has been asked to submit its report within four months. This Committee has been constituted on 22.07.2016 and the first meeting of the Committee has been held on 04.08.2016.

श्री राम कुमार कश्यपः सर, केंद्रीय सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं। मैं इसके लिए निश्चित तौर से वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सर, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अब राज्य सरकारों के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही यथाशीघ्र वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ लेना चाहते हैं और उनको लाभ मिलना भी चाहिए। राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि उनके कमर्चारियों को यथाशीघ्र लाभ दिया जाए, लेकिन सभी राज्यों के वित्तीय संसाधन और आर्थिक स्थिति एक जैसी न होने के कारण कुछ राज्यों ने इस हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की

† Original notice of the question was received in Hindi.

है। क्या वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों की इस प्रकार की मांग पर कोई विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप इन राज्यों की सहायता करेंगे? सर, मेरा दूसरा प्रश्न सातवें वेतन आयोग लागू करने के तरीके से संबंधित है। पहली बार वेतन आयोग की सिफारिशों को दो भागों में लागू किया जा रहा है। पहले भाग में, वेतन से संबंधित सिफारिशों को अगस्त माह से लागू किया गया है, जोकि अच्छी बात है। दूसरे भाग में भत्तों के संबंध में अलग समिति का गठन किया गया है। दूसरी समिति के गठन के फलस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्तों के लाभ से कई माह तक वंचित रह जाएंगे। महोदय, स्वाभाविक तौर पर इस से यह संदेश जाता है कि केंद्र सरकार इस तरह भत्तों को न देने की अवधि बढ़ाकर अपनी बचत करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इन भत्तों का भुगतान भी अगस्त, 2016 से लागू होगा या समिति के निर्णय के आधार पर अधिसूचना जारी होगी? कृपया इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): सभापति जी, जब छठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तो वे सिफारिशें आने के 32 महीने बाद लागू हुई थीं। इस बार नवम्बर के माह में रिपोर्ट आई, दिसम्बर में हमने सेक्रेटरीज की कमेटी बना दी और जून के महीने में कैबिनेट ने पूरा निर्णय ले लिया। उसमें वेतन और पेंशन संबंधी निर्णय, जोकि वित्तीय दृष्टि से मुख्य बोझ होता है, उसे हमने पहली जनवरी, 2016 से लागू किया है। जहां तक भत्तों का प्रश्न है, भत्तों के संबंध में जो सिफारिशें हैं, उसमें 51 भत्ते इस प्रकार के हैं, जिन्हें abolish करने का निर्णय लिया है, 37 ऐसे हैं जिन्हें subsume किया गया है। चूंकि उसे लेकर बहुत radical suggestions हैं, 40 संगठनों ने भी उसके संबंध में अपने representations दिए हैं, इसलिए एक विशेष कमेटी बनायी गयी है, जोकि इस विषय को देखेगी और वह जो निर्णय लेगी, वह मंत्रिपरिषद के सामने जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Members are so satisfied with the answer that there are no supplementaries.

Waiver restructuring of company loans above 100 crores

*245. SHRI DIGVIJAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the companies whose loans of over ₹ 100 crore have been restructured in 2013-14, 2014-15 and 2015-16; and

(b) the details of the amount due and the amount waived and the terms for restructuring along with the names of the directors of each company?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITLEY) (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) has informed that in exercise of powers conferred under Section 27 (2) of the Banking Regulation Act 1949, RBI collects credit information from banks under the CRILC reporting system (for borrowers